रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062023-246624 CG-DL-E-16062023-246624

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 357] No. 357] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 16, 2023/ज्येष्ठ 26, 1945 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 16, 2023/JYAISHTHA 26, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2023

सा.का.नि. 444(अ).—(सं. 02/2023)-केंद्रीय सरकार, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 (2021 का 33) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अधिकरण (सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2023 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
- 2. अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 में, नियम 5 में, उपनियम (2) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-
 - "(3) नियम 3 में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जो यथास्थिति किसी अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य का पद धारण किए हो या धारण कर चुका हो, पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होगा "।

[फा. सं. ए-50050/33/2023-सीईएसटीएटी-डीओआर] ऋत्विक पांडेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 15 सितंबर, 2021 में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 635 (अ) तारीख 15 सितंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

3847 GI/2023 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2023

- **G.S.R. 444(E).** (No. 02/2023)-In exercise of the powers conferred by section 3 of the Tribunals Reforms Act, 2021 (33 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021, namely:-
- **1 Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Tribunal (Conditions of Service) Amendment Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021, in rule 5, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
 - "(3) Notwithstanding anything contained in rule 3, a person holding or has held the post of Chairperson or Member, as the case may be, of any Tribunal shall be eligible for re-appointment."

[F. No. A-50050/33/2023-CESTAT-DOR]

RITVIK PANDEY, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) dated the 15th September, 2021 vide notification number G.S.R. 635(E) dated 15th September, 2021.